(2)

प्रेषक,

जिला विद्यालय निरीक्षक,
रामपुर।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र–2, समुदाय केन्द्र, प्रीत विहार,
नई दिल्ली।

पत्रांक: मा0–प्रबन्ध/1 ¼ 2– –7 /2019–20 दिनांक– 27 जून, 2019

विषयः–कॉन्वेंट एजूकेशनल अकेडमी, (डिलारी) मिलक खानम, स्वार रामपुर को विद्यालय के अपग्रेडेशन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि कॉन्वेंट एजूकेशनल अकेडमी, मिलक खानम, स्वार रामपुर को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता दी गयी है। विद्यालय प्रबन्धक के पत्र दिनांक 13.06.2019 के द्वारा अपग्रेडेशन हेतु निर्धारित प्रपत्र ऐपेन्डिक्स–III अभिलेख सहित इस कार्यालय को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में उपलब्ध कराया गया है। विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण श्री अरविन्द भास्कर, प्रधानाचार्य राजकीय सैजनी नानकार रामपुर द्वारा दिनांक 26.06.2019 को किया गया। उनकी आख्या दिनांक 26.06.2019 में अवगत कराया है कि–1 विद्यालय में कुल 2 कक्ष है जिनमें 5 प्रयोगशालाएं 9 X 6 की, एक 14X 8 की, पुस्तकालय, शिक्षण कक्ष, संगीत कक्ष, स्टॉफ कक्ष, चिकित्सा कक्ष आदि निर्मित है। विद्यालय में चाहरदिवारी, खेल का मैदान, बिजली, पीने का पानी, शौचालय आदि उपलब्ध है। विज्ञान प्रयोगशाला सुसज्जित है, स्टॉफ को विद्यालय की आय के अनुसार बैंक के माध्यम से वेतन दिया जा रहा है।

अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नही है–

1– विद्यालय की पंजीकरण सोसायटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

2– विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

3– विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा सरकारी विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नही लिया जायेगा। उ0प्र0 स्ववित्तपोषित स्वतन्त्र विद्यालय (शुल्क निर्धारण) अध्यादेश 2018 का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

4– संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माग नही की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ एजूकेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदो से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।

5– संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानो तथा अन्य भत्तो से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगे।

6– कर्मचारियो की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हे सहायता प्राप्त अशासकीय उ0मा0वि0 कर्मचारियो को अनुमन्य सेवा निवृत्ति के लाभ उपलब्ध कराये जायेगें।

7— राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगें, संस्था उनका पालन करेगी।

8— विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

9— राज्य सरकार एवं सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि, भवन एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता, सम्बद्धता से पूर्व संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

10— उक्त विद्यालय का संचालन अनापत्ति प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत भू–अभिलेखों में उल्लिखित ग्राम डिलारी मिलक खानम, परगना व तहसील स्वार, जिला रामपुर मे स्थित गाटा संख्या–229/2 रकबा 0.642 है0 भूमि में निर्मित भवन व भूमि पर ही किया जायेगा, भूमि का प्रयोग अन्य किसी प्रयोजन हेतु करने तथा विद्यालय को अन्यत्र संचालित करने पर यह अनापत्ति स्वत ही समाप्त समझी जायेगी।

11— उक्त शर्तो में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नही किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धो का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नही किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है, तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

संलग्नक–**ऐपेन्डिक्स**–।।।

भवदीय,

(विनोद कुमार)
जिला विद्यालय निरीक्षक
रामपुर।

पृ0सं0: मा0–प्रबन्ध/ /2019–20 दिनांक: उक्तवत्।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1— मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मुरादाबाद।

2— प्रबन्धक, कॉन्वेंट एजूकेशनल अकेडमी, मिलक खानम, स्वार रामपुर।

जिला विद्यालय निरीक्षक
रामपुर।